राजस्थान सरकार

निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः– एफ9/डी.पी.आर./2014–15 दिनांकः–

परिपत्र

विषय : **जिलों के स्थानीय समाचार पत्रों में विभाग के संबंध में छपी खबरों/सूचना की प्रति को तुरन्त मुख्यालय के सूचना व जनसम्पर्क अनुभाग को भिजवाने बाबत।**

प्रायः यह देखा जाता है कि विभिन्न जिलों के स्थानीय समाचार पत्रों में विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार का खबर/सूचना प्रकाशित होती है तो मुख्यालय जनसम्पर्क अनुभाग को अवगत नहीं कराया जाता है। प्रमुख विशेषाधिकारी मुख्यमंत्री की टीप दिनांक 09.07.2014 के बिन्दु संख्या 4 जिसमें सूचना व जनसम्पर्क अनुभाग से 13 दिसम्बर 2013 से 30 जून, 2014 तक विभाग से संबंधित जो भी समाचार प्रकाशित हुए उनकी प्रति एवं उक्त समाचार पत्र के क्रम में विभागीय कार्यवाही की जानकारी चाही गई है। जनसम्पर्क अनुभाग मुख्यालय जयपुर को जयपुर के स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित खबर/समाचार की जानकारी तो मिल जाती है किन्तु विभिन्न जिलों के स्थानीय समाचार पत्रों में विभाग से संबंधित खबर/सूचना के प्रकाशन की जानकारी नहीं मिल पाती है।

अतः सभी संभाग/जिला कार्यालयों के अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले के स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित इस विभाग से संबंधित कोई खबर/सूचना प्रकाशित होती है तो तुरन्त मुख्यालय के सूचना एवं जन सम्पर्क अनुभाग को संबंधित खबर/सूचना की प्रति एवं प्रकाशित समाचार पर विभागीय टिप्पणी मय दिनांक एवं समाचार पत्र के नाम के साथ स्कैन करके संयुक्त निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क के ई–मेल आईडी **(jd.pro.sipf-rj@rajasthan.gov.in)** पर अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चत करें एवं उक्त समाचार की एक प्रति डाक द्वारा भी भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे । प्राप्त समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की संख्या एवं पूर्ण विवरण मय की गई कार्यवाही के मासिक कार्य प्रगति विवरण के साथ संभाग कार्यालय द्वारा इकजाई कर भिजवाना भी सुनिश्चित किया जावे।

5/8/14

(डॉ. राजेश शर्मा)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः– एफ9/डी.पी.आर./2014–15/87-197 दिनांकः– 6-8-14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय
2. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
3. अति/वरि.अति.निदेशक समस्त संभागीय कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग..........................
4. संयुक्त/उप/सहा.निदेशक समस्त जिला कार्यालय राज्य बीमा एवं प्रा.नि.वि..............................
5. ए.सी.पी. सिस्टम अनुभाग भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र की प्रति समस्त संभाग एवं जिला कार्यालयों को ई–मेल कर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करावें।
6. गार्ड फाईल

(सुरभि भार्गव)
संयुक्त निदेशक
(सूचना व जनसम्पर्क)
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर।

C:\Users\user 443\Downloads\latter.doc